GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS **RBE No. 131/2005**
(RAILWAY BOARD)

No. E(LL)2001/HER/9 *New Delhi, dated :-09 - 8 -2005*

The General Managers, All Indian Railways/Production Units.
The FA & CAO, All Indian Railways, Production Units and
The General Managers, NF Railway(Construction.).Maligaon, Southern Railway,(Const.) Banglore, Central Railway(Const.) Mumbai.
The Director General, RDSO/Lucknow.
The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
The CAO, DCW and COFMOW/New Delhi.
The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
The Director General, Railway Staff College/Vadodara.
The CAO(Construction), MTP(R),Delhi, Mumbai, Chennai.
The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad, IRCAMTECH/Gwalior.
The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
Office of the Chief Project Administrator(Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom(IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi.
The Director(Movement), Railways/Kolkata.
The Joint Director(Finance)/RDSO, Lucknow.
The Joint Director, Iron & Steel, 3 Koila Ghat Street/Kolkata.
The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad (Jharkhand).
The Chairman, Railway Claims Tribunal/Delhi.
The Chairman, Railway Rates Tribunal/Chennai.
The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Banglore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivendrum.
The General Secretary, IRCA.
The Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.

Sub:- Revision of Railway Servants(Hours of Employment) Rules,1961.

Please find enclosed herewith a copy/copies of Notification(GSR No.75) dated 28-2-2005 in Hindi & English version containing Railway Servants(Hours of Work & Period of Rest) Rules, 2005 to amend the Railway Servants (Hours of Employment) Rules, 1961 for information and guidance.

Please acknowledge receipt.

(B. Majumdar)
Joint Director Estt.(LL)

DA: As above

No. E(LL)2001/HER/9 *New Delhi, dated: 09 - 8-2005*

Copy to:
The Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi (with 5 spares) for information.

The Ministry of Civil Aviation, New Delhi (Railway Inspectorate) with 10 spares for transmission to the Chief Commissioner of Railway Safety.

(B. Majumdar)
Joint Director Estt. (LL)

No. E(LL)2001/HER/9 *New Delhi, dated: 09 - 8 -2005*

The General Secretary, NFIR(with 35 spares).
The General Secretary, AIRF(with 35 spares).
The Secretary General, FROA(with 5 spares).
The Secretary General, IRPOF(with 5 spares).
The General Secretary, AIRPFA(with 5 spares).
The Members of National Council, Departmental Council & Secretary Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, (with 60 spares).

for Secretary/Railway Board

No. E(LL)2001/HER/9 *New Delhi, dated: 09 - 8 -2005*

Copy to :

Deputy Comptroller & Auditor General of India(Railways)Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi.(with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

Copy to :-

EDF(E), ED(Safety), DE(G), DPC, JDF(E), JDE(N), JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(Res.), DDF(E)I,II & III, F(E)I,F(E)II,F(E)III &F(E)Spl, TC(FM),Accounts-II & III, A/Cs(Insp.) (with 10 Spares), Code Revision Cell.

आर बी ई सं. **131/2005**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एल एल)2001/एच ई आर/9 नई दिल्ली, दिनांक **09-08-2005**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.

विषय : रेल सेवक (काम के घंटे) नियम, 1961 का संशोधन.

रेल सेवक (काम के घंटे) नियम, 1961 को संशोधित करने के लिए 28.2.2005 की अधिसूचना (जी एस आर सं. 75) जिसमें रेल सेवक (काम के घंटे एवं विश्राम की अवधि) नियम 2005अंतर्विष्ट है, के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति/प्रतियां सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न है.

संलग्न : यथोक्त

बी. मजूमदार
(बी. मजूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (श्रम विधान)

सं. ई (एल एल)2001/एच ई आर/9 नई दिल्ली, दिनांक 09 .8.2005

प्रतिलिपि प्रेषित :-

श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 प्रतियों सहित)
नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली (रेलवे इंस्पेक्टरोरेट) को 10 प्रतियों सहित मुख्य लेखा संरक्षा आयुक्त को भेजने हेतु.

बी. मजूमदार
(बी. मजूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (श्रम विधान)

..2/-

सं. ई (एल एल)2001/एच ई आर/9 नई दिल्ली, दिनांक 09 .8.2005

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (35 अतिरिक्त प्रतियां).
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (35 अतिरिक्त प्रतियां).
3. महासचिव, इरपोफ.
4. महासचिव, फ्रोआ, नई दिल्ली.
5. महासचिव, रे.सु.ब. एसोसिएशन (5 प्रतियां).
6. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव स्टाफ साइड 13-सी, फिरोजशाह रोड (60 अतिरिक्त प्रतियां).

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई (एल एल)2001/एच ई आर/9 नई दिल्ली, दिनांक 09 .8.2005

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतिया)

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि :-
कार्यपालक निदेशक वित्त (स्था.), कार्यपालक निदेशक (संरक्षा) तथा अन्य .

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(LL)2006/HER/16 *New Delhi, dated :- 25-4 -2007*

The General Managers, All Indian Railways/Production Units.
The FA & CAO, All Indian Railways, Production Units and
The General Managers, NF Railway (Construction.).Maligaon,
South Western Railway, (Const.) Banglore, Central Railway (Const.) Mumbai.
The Director General, RDSO/Lucknow.
The General Manager and FA&CAO, Metro Railway/Kolkata.
The CAO, DCW and COFMOW/New Delhi.
The General Manager and FA&CAO, CORE/Allahabad.
The Director General, Railway Staff College/Vadodara.
The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur,
IRISET/Secunderabad, IRCAMTECH/Gwalior.
The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi.
Chief Project Administrator (Telecom), IRCOT Consultancy, Shiva Bridge, New Delhi.
The Director (Movement), Railways/Kolkata.
The Joint Director (Finance)/RDSO, Lucknow.
The Joint Director, Iron & Steel, 3 Koila Ghat Street/Kolkata.
The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad (Jharkhand).
The Chairman, Railway Claims Tribunal/Delhi.
The Chairman, Railway Rates Tribunal/Chennai.
The Chairman, RRB/Ajmer, Ahamdabad, Allahabad, Banglore,
Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati,
Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
The General Secretary, IRCA.
The Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.

***Sub: - Amendment of Railway* Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules, 2005**

Please find enclosed herewith a copy/copies of Notification (GSR No264 (E) dated 16.3.2007 in Hindi & English version amending Rule 4(2) of Railway Servants (Hours of Work & Period of Rest) Rules, 2005 for information and guidance.

Please acknowledge receipt.

(A.D.Ramachandran)
Director Estt. (LL)

DA: As above

Fax & Phone No. 011-23384771

No. E(LL)2006/HER/16 *New Delhi, dated :- 25-4 -2007*

Copy to:
The Ministry of Labour, Shram Shakti Bhavan, New Delhi (with 5 spares) for information.

The Ministry of Civil Aviation, New Delhi (Railway Inspectorate) with 10 spares for transmission to the Chief Commissioner of Railway Safety.

(A.D.Ramachandran)
Director Estt. (LL)

No. E(LL)2006/HER/16 *New Delhi, dated :- 25-4-2007*

The General Secretary, NFIR (with 25 spares).
The General Secretary, AIRF (with 25 spares).
The Secretary General, FROA (with 2 spares).
The Secretary General, IRPOF (with 2 spares).
The General Secretary, AIRPFA (with 2 spares).
The Members of National Council, Departmental Council & Secretary Staff Side, 13-C, Ferozshah Road, (with 60 spares).

for Secretary/Railway Board

No. E(LL)2006/HER/16 *New Delhi, dated :- 25-4-2007*

Copy to
Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways) Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

Copy to: -

EDF(E), ED(Safety), DE(G), DPC, JDF(E), JDE(N), JDE(P&A), JDE(L), JDE(D&A), JDE(Res.), DDF(E)I,II & III, F(E)I,F(E)II,F(E)III &F(E)Spl, TC(FM),Accounts-II & III, A/Cs(Insp.) (with 10 Spares), Code Revision Cell.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एल एल)2006/एच ई आर/16 नई दिल्ली, दिनांक 25.4.2007

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
तथा अन्य.

विषय : रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 का संशोधन.

रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के नियम 4(2) को संशोधित करने के लिए 16.3.2007 की अधिसूचना (जी एस आर सं. 264(अ)) के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर की एक प्रति/प्रतियां सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न है.

कृपया पावती दें.

संलग्नक : यथोक्त

ए.डी. रामचन्द्रन
(ए.डी. रामचन्द्रन)
निदेशक स्था. (श्रम विधान)

सं. ई (एल एल)2006/एच ई आर/16 नई दिल्ली, दिनांक 25.4.2007

प्रतिलिपि प्रेषित :-

श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली (रेलवे इंस्पेक्टोरेट) को 10 प्रतियों सहित मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भेजने हेतु.

ए.डी. रामचन्द्रन
(ए.डी. रामचन्द्रन)
निदेशक स्था. (श्रम विधान)

..2/-

सं. ई (एल एल)2006/एच ई आर/16 नई दिल्ली, दिनांक 25.4.2007

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (25 अतिरिक्त प्रतियां).
2. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (25 अतिरिक्त प्रतियां).
3. महासचिव, फ्रोआ, नई दिल्ली. (2 अतिरिक्त प्रतियां).
4. महासचिव, इरपोफ. (2 अतिरिक्त प्रतियां).
5. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन (2 अतिरिक्त प्रतियां).
6. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव स्टाफ साइड 13-सी, फिरोजशाह रोड (60 अतिरिक्त प्रतियां).

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

सं. ई (एल एल)2006/एच ई आर/16 नई दिल्ली, दिनांक 25.4.2007

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियां).

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि :-
कार्यपालक निदेशक वित्त (स्था.), कार्यपालक निदेशक (संरक्षा) तथा अन्य .

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2007/चैत्र 9, 1929
No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHAITRA 9, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2007

सा.का.नि. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) संशोधन नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये केवल उन्हीं रेल सेवकों को लागू होंगे जिनको अधिनियम का अध्याय 14 लागू होता है।

(4) रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के नियम 4, उप-नियम (2) में ''में भारत सरकार के सचिव'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ई(एलएल) 2006/एचईआर/16]

मैथ्यु जान, सचिव, रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी : रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 सं सा.का.नि. 75, तारीख 28-2-2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2007

G.S.R. 264(E).—In exercise of the powers conferred by Section 136 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 namely :—

(1) These rules may be called the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply only to those railway servants to whom Chapter XIV of the Act applies.

(4) In the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005, in Rule 4, sub-rule (2), the words "Secretary to the Government of India in the" shall be omitted.

[F. No. E(LL) 2006/HER/16]

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

Footnote : The Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 were published *vide* G.S.R. number 75, dated 28-2-2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 75.—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग-I

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये केवल उन रेल सेवकों को लागू होंगे जिन्हें अधिनियम का अध्याय 14 लागू होता है।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) ''पूर्ण रात्रि'' से अपराह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 6.00 बजे के बीच की अवधि अभिप्रेत है।

(ग) ''लॉग ऑन'' से, ''श्रम प्रधान'' कर्मकारों के मामले में आठ घंटे से ऊपर ''निरंतर कर्मकारों'' के मामले में दस घंटे से ऊपर तथा ''आवश्यक रूप से आंतरायिक'' कर्मकारों के मामले में बारह घंटे से ऊपर की ड्यूटी अभिप्रेत है;

(घ) ''वेतन की मामूली दर'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II (1990 संस्करण) के नियम 1303 (मूल नियम 9) में यथा परिभाषित वेतन तथा इसमें परिचालन कर्मचारिवृन्द के मामले में, पूर्वोक्त संहिता के नियम 1507 में यथा- परिभाषित, मूल वेतन के 30 प्रतिशत तक परिचालन भत्ते का ''वेतन घटक'' भी सम्मिलित है ;

(ii) मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, मंहगाई वेतन, यदि कोई है, और

(iii) प्रतिकरात्मक (नगर) भत्ता;

(ङ) ''गोपनीय हैसियत में नियोजित रेल सेवकों'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(i) पृथक गोपनीय कक्ष में अथवा प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकारियों के साथ संबद्ध कार्यरत आशुलिपिक;

(ii) साइफर ऑपरेटर;

(iii) गोपनीय सहायक तथा निजी सहायक; और

(iv) अन्य कोई रेल सेवक, जिसे रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा इस प्रकार गोपनीय हैसियत में नियोजित विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(च) ''क्षेत्रीय श्रम आयुक्त'' से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''सड़क किनारे के स्टेशन'' से निम्नलिखित से भिन्न अन्य स्टेशन अभिप्रेत हैं :

(i) महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन,

(ii) मार्शलिंग यार्ड वाले स्टेशन,

(iii) मुख्य टर्मिनल स्टेशन,

(iv) वह स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां चलाई जाती हैं, तथा

(v) वह स्टेशन जहां पर मुख्य माल क्लर्क के ग्रेड में या उस माल कार्यालय के कार्यभार के आधार पर स्वीकृत उच्चतर ग्रेड में, पर्यवेक्षण माल क्लर्क के अधीन एक पृथक् माल कार्यालय की व्यवस्था की गई हो :

परंतु रेल प्रशासन के प्रधान या वह प्राधिकारी जिसे वह यह शक्ति प्रत्यायोजित करें, उपर्युक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, सड़क के किनारे के स्टेशनों की सूची तैयार कर सकेगा।

(ज) ''रोस्टर'' से वह दस्तावेज अभिप्रेत है जो, अन्य ब्यौरों के अलावा प्रतिदिन, रेल सेवक के ड्यूटी पर उपस्थित रहने के संभावित घंटे, प्रतिदिन तथा साप्ताहिक विश्राम और दिन में ड्यूटी की अवधियों के बीच विश्राम को दर्शाता है;

(झ) ''परिचालन कर्मचारिवृन्द'' से ऐसा कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत है जो भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द-II (1990 संस्करण) नियम 1507 में इस प्रकार परिभाषित है;

(ञ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ट) ''शार्ट ऑफ'' से विश्राम की वह अवधि अभिप्रेत है जो—

(i) ''श्रम प्रधान'' कर्मचारी के मामले में—

(क) छह घंटे के ड्यूटी रोस्टर में बारह घंटों से कम, तथा

(ख) छह तथा आठ घंटे के मिश्रित ड्यूटी रोस्टर में सोलह घंटों से कम है;

(ii) ''निरंतर'' कर्मचारी के मामले में 10 घंटे से कम है,

(iii) ''आवश्यक रूप से आन्तरायिक'' कर्मचारी के मामले में 8 घंटे से कम है।

(ठ) ''विभाजित ड्यूटी'' (स्प्रेड ड्यूटी) से, कार्य की अत्यावश्यकता के अनुसार आधे या अधिक घंटे के प्रत्येक मध्यवर्ती विश्राम सहित दो या अधिक अवधियों में ड्यूटी अभिप्रेत है और जब कर्मचारी अपने ड्यूटी के स्थान को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो ''विभाजित ड्यूटी'' के प्रयोजनार्थ विश्राम और भोजन के लिए अंतराल व्यवधान नहीं होगा।

(ड) धारा 130 की उपधारा (ख) में यथा प्रयुक्त ''अविरत ध्यान'' में मानसिक प्रयास विवक्षित है।

स्पष्टीकरण.—कांटों को स्थिर करने के पश्चात् गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे प्वाइंट्समैन से अविरत ध्यान देना अपेक्षित है। इसी प्रकार एक स्टेशन मास्टर अथवा सहायक स्टेशन मास्टर को, पिछले स्टेशन के लिए उसके लाइन क्लीयर देने के समय से लेकर गाड़ी के आने के समय तक तथा फिर लाइन क्लीयर को जाने के समय से लेकर अगले ब्लॉक खंड के क्लीयर होने तक, ''अविरत ध्यान'' देना अपेक्षित है जहां कहीं परिस्थितियां, विभिन्न व्यवस्थाओं को न्यायोचित ठहराती हैं, वहां अविरत ध्यान की अवधि का निर्णय नियंत्रक प्राधिकारी करेगा शंका के किसी भी मामले में, विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(ढ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के, [illegible] किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः भारतीय रेल स्थापना संहिता या अधिनियम में हैं।

भाग-II

नियमित का वर्गीकरण और काम के घंटे

3. रेल सेवक के नियोजन को वर्गीकृत करने के लिए विहित प्राधिकारी

(1) रेल सेवकों के नियोजन को धारा 130 के अधीन श्रम प्रधान अथवा आवश्यक रूप से आंतरायिक घोषित करने की शक्ति रेल प्रशासन के प्रधान में निहित होगी।

परंतु रेल प्रशासन का प्रधान, स्वविवेकानुसार इस उप-नियम के अधीन उसमें निहित शक्ति को मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

परंतु यह और कि बाढ़, दुर्घटना जैसी आपात-स्थिति की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकारी में निहित शक्ति का प्रयोग उसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो ज्येष्ठ वेतनमान के रैंक से नीचे का न हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा की गई प्रत्येक घोषणा की एक प्रति यथाशीघ्र संबद्ध क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी तथा यदि घोषणा रेल के प्रधान से भिन्न किसी अन्य अधिकारी ने की हो तो यह, यथास्थिति, रेल प्रशासन के प्रधान या मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेजी जाएगी।

4. वर्गीकरण के विरुद्ध अपील

(1) नियम 3 के अधीन की गई वर्गीकरण की घोषणा से व्यथित कोई रेल सेवक ऐसी घोषणा की तारीख से 90 दिन के भीतर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेगा जो सुसंगत दस्तावेजों की संवीक्षा के पश्चात् अथवा यदि आवश्यक समझे, तो नए सिरे से काम का विश्लेषण करने के पश्चात् संबद्ध रेल प्रशासन के प्रधान के परामर्श से वर्गीकरण में परिवर्तन के आदेश दे सकेगा।

(2) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विनिश्चय से व्यथित कोई रेल सेवक या रेल प्रशासन, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के विनिश्चय की उसे संसूचना की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर श्रम मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के समक्ष अपील कर सकेगा जो रेल मंत्रालय के परामर्श तथा संबद्ध पक्षकारों के की सुनवाई के पश्चात् इसका निपटारा करेगा।

5. **पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द**—रेल मंत्रालय, लिखित आदेश द्वारा, उन रेल सेवकों अथवा रेल सेवकों के वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन्हें धारा 130 के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन इस आधार पर पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के रूप में माना जाएगा कि रेल सेवक एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद धारण करता है, मुख्य रूप से पर्यवेक्षी प्रकृति के कर्तव्यों के लिए नियोजित है तथा वह अपने कार्य तथा पद की प्रकृति के कारण ऐसे घंटों के दौरान अपनी ड्यूटी के घंटों या कार्य को समायोजित करने के लिए तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र है।

परंतु जो रेल सेवक इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमों के अधीन पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के रूप में माने गए हैं, वे इस उप नियम के अधीन जारी रेल सेवकों या रेल सेवकों के वर्गों को पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के रूप में विनिर्दिष्ट करने वाले आदेश के निकाले जाने तक पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द के रूप में माने जाते रहेंगे।

(2) उपनियम (i) के अधीन जारी किए गए ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी।

6. **अपवर्जित कर्मचारिवृन्द**—स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के कर्मचारिवृन्द के निम्नलिखित प्रवर्गों को धारा 130 के खंड (ग) के उपखंड (v) के अधीन ''अपवर्जित'' माना जाएगा, अर्थात् :

(क) मैट्रन,

(ख) सिस्टर्स-भारसाधक;

(ग) मिडवाइफ, जो रेलवे अस्पतालों में नियमित पारी ड्यूटी पर तैनात नहीं है;

(घ) स्वास्थ्य शिक्षक और जिला विस्तार शिक्षक (पुरुष एवं महिला)

(ङ) परिवार नियोजन क्षेत्र कार्यकर्ता (पुरुष एवं महिला)

(च) महिला स्वास्थ्य परिदर्शक

(छ) सहायक नर्स एवं मिडवाइफ

(ज) प्रक्षेपक

उपर्युक्त के अतिरिक्त रेल मंत्रालय, लिखित आदेश द्वारा, भारतीय रेल के किसी विभाग में रेल कर्मचारिवृन्द के किसी अन्य प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे इस आधार पर ''अपवर्जित'' माना जाएगा कि ऐसे कर्मचारी मांग पर उपलब्ध हैं।

7. **रेल सेवकों के वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए मानदंड :**

(1) **निरंतर :** उन नियोजनों से भिन्न जिन्हें नियोजन के घंटे विनियम के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किया गया है, रेल सेवकों के सभी नियोजनों को निरंतर माना जाएगा, तत्पश्चात्, वास्तविक काम के विश्लेषण के आधार पर नियोजन को, यथास्थिति, ''श्रम प्रधान'' या ''आवश्यक रूप से आंतरायिक'' वर्गीकृत किया जा सकेगा।

864 GI/05

(2) श्रम प्रधान : अधिनियम की धारा 130 के खंड (घ) के अधीन नियोजन को "श्रम प्रधान" के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित दो मुख्य बातें हैं :

(i) श्रमसाध्य प्रकृति का कार्य जिसके कारण मानसिक अथवा शारीरिक तनाव होता हो, तथा

(ii) निरंतर ऐसा कार्य जिसमें विश्राम की अवधि कम है या बिल्कुल नहीं है।

स्पष्टीकरण I.—धारा 130 के खंड (घ) में "सतत्-एकाग्रता" पद से यह आशय है कि किसी विशेष प्रकृति के काम के लिए संबद्ध रेल सेवक का अनन्य रूप से उसी कार्य में ध्यान लगाना चाहिए। उसके मस्तिष्क में कोई अन्य विचार या भावना नहीं आनी चाहिए तथा यह सतत् एकाग्रता इस प्रकार की होनी चाहिए। जिससे कि ऐसे कार्य-विशेष में बिना किसी युक्तियुक्त कतिपय विरामों के निरंतर ध्यान दिए जाने के परिणामस्वरूप एक अवधि विशेष में, संबंधित रेल सेवक पर तनाव (शारीरिक अथवा मानसिक या दोनों) पड़ता हो। अतः ड्यूटी की संपूर्ण अवधि तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विहित प्राधिकारी, किसी नियोजन को "श्रम प्रधान" घोषित करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि संबंधित कार्य में उपर्युक्त बातें विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, विहित प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या काम इस प्रकृति का है कि इसके लिए विश्राम की उचित अवधि के बिना "निरंतर एकाग्रता" की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण II.—जहां विश्राम, निष्क्रियता या विराम (आराम) की अवधि, 24 घंटों के एक चक्र में कुल मिलाकर 6 घंटे या उससे अधिक न हो अथवा 8 घंटे की बारी में एक घंटे या उससे अधिक की न हो, वहां कारण (ii) के संबंध में संतुष्टि करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(3) **आवश्यक रूप से आंतरायिक :**

कर्मचारी के कार्य को तब आवश्यक रूप से आंतरिक समझा जाएगा यदि उसकी प्रतिदिन की ड्यूटी बारह घंटों की मान ली गई हो, उसके अंतर्गत निम्नलिखित है—

(क) कम से कम एक घंटे की निष्क्रियता की एक अवधि या कम से कम आधे-आधे घंटे की ऐसी दो अवधियां, और

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट निष्क्रियता की अवधि सहित निष्क्रियता की कुल मिलाकर 50 या उससे अधिक की विभिन्न अवधियां जिनके दौरान उसे शारीरिक सक्रियता, या अविरत ध्यान देने के लिए नहीं कहा जाता है।

टिप्पण—धारा 130 की उपधारा (ख) के अनुसार "आवश्यक रूप से आंतरायिक" के कार्यभार का निर्धारण करते समय, 5 मिनट से कम की निष्क्रियता की अवधियों को छोड़ दिया जाएगा।

8. कार्य के घंटों का निर्धारण :

रोस्टर के अनुसार रेल सेवक के कार्य के घंटे (जिन्हें इसमें इससे आगे कार्य के रोस्टर घंटे कहा गया है) सेवा की अत्यावश्यकता या तैनाती के कारण निरंतर हो सकते हैं या इसमें विश्राम के लिए कम अंतराल या विराम हो सकता है।

(1) रेल प्रशासन, धारा 132 में विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए तथा सेवा की अपेक्षाओं और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन नियमों में उपदर्शित रीति से रेल सेवकों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए कार्य के सामान्य रोस्टर घंटे नियत करेगा।

(2) रेल सेवकों के कार्य के रोस्टर घंटों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(i) ड्यूटी के मानक घंटे;

(ii) आवश्यक रूप से आंतरायिक के रूप में वर्गीकृत कतिपय प्रवर्गों के मामले में यथाविहित अतिरिक्त घंटे; तथा

(iii) प्रारंभिक अथवा पूरक कार्य या दोनों कार्यों को करने के लिए जिनके लिए ऐसे कार्य का करना अपेक्षित है, अपेक्षित समय।

(3) रेल सेवकों के नियोजन के विभिन्न वर्गों के लिए ड्यूटी के मानक घंटे नीचे दिए गए अनुसार होंगे :—

(क)	श्रम प्रधान	-	सप्ताह में 42 घंटे
(ख)	निरंतर	-	सप्ताह में 48 घंटे, तथा
(ग)	आवश्यक रूप से आंतरायिक	-	सप्ताह में 48 घंटे

(4) (क) नियोजन के आवश्यक रूप से आंतरायिक वर्ग वाले रेल सेवकों को नीचे उपदर्शित अतिरिक्त अतिरिक्त घंटों के लिए नियम 8 (2) (ii) के अनुसार कार्य पर बुलाया जाएगा :

(i)	दरबान सी, विश्रामगृह तथा जलाशयों आदि के केयर-टेकर, चौकीदार तथा सैलून परिचारक	-	
(ii)	ड्यूटी स्थल से 0.5 किलोमीटर के भीतर रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था वाले सड़क किनारे के स्टेशनों पर आवश्यक रूप से आंतरायिक नियोजन के कार्य के लिए तैनात रेल सेवक		प्रति सप्ताह 24 अतिरिक्त घंटे
(iii)	नियोजन के आवश्यक रूप से आंतरायिक वर्ग में कार्य के लिए तैनात शेष कर्मचारी	-	प्रति सप्ताह 12 अतिरिक्त घंटे

(ख) कार्य के ऐसे अतिरिक्त घंटों को संबंधित रेल सेवकों के ड्यूटी रोस्टर में दर्शित किया जाएगा।

(5) कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों द्वारा प्रारंभिक या पूरक कार्य या दोनों कार्य करने के लिए अपेक्षित समय, जिसमें कार्य-भार सौंपना तथा कार्यभार ग्रहण करना भी सम्मिलित है, किसी प्रतिष्ठान, शाखा या पारी के सामान्य कार्य संचालन के लिए अधिकथित समय-सीमा के बाद किए जाने चाहिए तथा संबंधित प्रवर्गों में प्रतिनिधि पदों के संबंध में ऐसे कार्य के विश्लेषण द्वारा ऐसे समय का अवधारण किया जाएगा।

(6) उपनियम (5) के अधीन निर्धारित किए गए समय को, नीचे विहित अधिकतम सीमा के अध्यधीन सभी विभिन्न वर्गीकरणों में कर्मचारिवृन्द की ड्यूटी के मानक घंटों में सम्मिलित किया जाएगा।

(क)	जब नियोजन श्रम प्रधान हो	-	सप्ताह में 3 घंटे;
(ख)	जब नियोजन निरंतर हो	-	सप्ताह में 6 घंटे;
(ग)	जब नियोजन आवश्यक रूप से आंतरायिक हो		
(i)	दरबान ''सी'' विश्राम गृह तथा जलाशयों के चौकीदारों, सैलून परिचारक तथा वे जो सड़क किनारे के स्टेशनों पर तैनात हैं तथा उनके ड्यूटी स्थल से 500 मीटर के भीतर रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था हो	-	सप्ताह में 3 घंटे
(ii)	उपखंड (i) में उल्लिखित रेल सेवकों से भिन्न	-	सप्ताह में 4½ घंटे

(7) परिचालन कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रारम्भिक या पूरक कार्य करने के लिए अपेक्षित समय सप्ताह में 4 घंटे का समझा जाएगा।

टिप्पणी— (i) जहां प्रारम्भिक या पूरक कार्य करने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट से कम का समय अवधारित किया गया है वहां इसे ड्यूटी नहीं माना जाएगा तथा इसे रोस्टर में दर्शित नहीं किया जाएगा।

(ii) ''निरंतर'' प्रकृति के नियोजन के मामलों में, प्रारंभिक या पूरक कार्य करने के लिए अवधारित समय, प्रतिदिन 15 मिनट से 45 मिनट तक से कम के बीच है तो इसे आधे घंटे का कार्य माना जाएगा तथा प्रतिदिन 45 मिनट और 1 घंटे के बीच का समय 1 घंटे का कार्य माना जाएगा।

(iii) नियोजन के श्रम प्रधान तथा आवश्यक रूप से आंतरायिक प्रवर्गों के मामले में 15 मिनट और 30 मिनट के बीच अवधारित ऐसा समय, प्रतिदिन आधे घंटे का कार्य माना जाएगा।

(iv) टिप्पण (3) में उल्लिखित कार्य के अवधारित समय संबद्ध रेल सेवक के ड्यूटी रोस्टर में दर्शित किया जाएगा।

(v) प्रारंभिक या पूरक कार्य अथवा दोनों कार्यों के लिए कुल घंटे इस प्रकार नियत किए जाएंगे कि सुपूर्ण ड्यूटी घंटे, धारा 132 में अपने-अपने वर्गीकरण के लिए विहित सीमाओं से अधिक न हों।

(8) जहां रेल सेवकों से विभाजित ड्यूटी (स्प्लिट ड्यूटी) का अनुपालन करने की अपेक्षा हो, वहां ऐसी ड्यूटी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) ड्यूटी की अवधियां तीन से अधिक नहीं होंगी तथा विराम की संख्या दो तक सीमित होगी;

(ख) ''निरंतर'' प्रकृति के नियोजन के मामले में, उस रेल सेवक के लिए, जिसका निवास स्थान ड्यूटी स्थल से 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी पर है, विभाजित ड्यूटी के सात घंटे सामान्य ड्यूटी के आठ घंटों के बराबर माने जाएंगे।

(9) रोस्टर तैयार करते समय तद्नुसार ''लॉग ऑन'' या ''शॉर्ट ऑफ'' से बचा जाएगा।

(10) जब रेल सेवक को, धारा 132 की उपधारा (4) या धारा 133 की उपधारा (3) के उपबंधों तथा इनमें उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार, अधोलिखित नियम (9) के अधीन दी गई अस्थायी छूट के आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्वोल्लिखित उपनियमों के अनुसार निर्धारित कार्य के घंटों या धारा 132 की उपधारा (1), (2) तथा (3) में विहित घंटों से ऊपर ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है, तो संबंधित रेल सेवक का, ऐसे ड्यूटी के अतिरिक्त घंटों के कार्य को करने का कर्तव्य होगा।

9. अस्थायी छूट देने की शक्ति

(1) धारा 132 की उपधारा (4) तथा धारा 133 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रेल प्रशासन का प्रधान लिखित आदेश द्वारा किसी रेल सेवकों के वर्ग को धारा 132 की उपधारा (1), (2) और (3) तथा धारा 133 की उपधारा (1) और (2) के उपबंधों से अस्थायी छूट दे सकता है।

(2) रेल प्रशासन का प्रधान उपनियम (1) के अधीन अपनी शक्तियों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जिसे वह शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ठीक समझता है, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन किए गए प्रत्येक प्रत्यायोजन के आदेश की एक प्रति संबंध क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

10. अतिकाल भत्ते का औसत निकालने तथा उसके संदाय के सिद्धांत

(1) जहां रेल सेवक से, नियम 8 के अनुसार नियत रोस्टर घंटों के पश्चात् या धारा 132 के अधीन रेल सेवक के विभिन्न वर्गों के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात्, अतिरिक्त घंटों की ड्यूटी करना अपेक्षित हो वहां उसे उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट औसत निकालने के सिद्धातों के अधीन कार्य के ऐसे अतिरिक्त घंटों के लिए अतिकाल भत्ते का संदाय किया जाएगा।

(2) धारा 132 में यथा विनिर्दिष्ट औसत अवधियों के ऊपर कार्य के घंटों के औसत द्वारा औसत निकाला जाएगा जिसे रेल कार्य प्रणाली में रेल सेवकों के कतिपय वर्गों के लिए यथा तथा आवश्यक छूट देने के लिए युक्तियुक्त लचीले अभ्युपाय के रूप में अपनाया गया है तथा यह-

(i) परिचालन कर्मचारिवृन्द,

(ii) प्रचालन कर्मचारिवृन्द,

(iii) चारी कर्मकारों, तथा

(iv) उन अन्य रेलवे सेवकों को, जो खंड (i), खंड (ii) तथा खंड (iii) में उल्लिखित रेल सेवकों के प्रवर्गों के किसी भी कार्य से जुड़े कार्य करते हैं, लागू होता है।

(3) धारा 132 की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य के अधिक घंटों के लिए अतिकाल भत्ते का संदाय नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा।

(i) रेलवे सेवक द्वारा कार्यों के रोस्टर घंटों की विहित समय-सीमा तथा धारा 132 में विहित घंटों के बीच किए गए अधिक कार्य घंटों के लिए, सुसंगत औसत अवधि के दौरान वेतन की सामान्य दर के 1½ गुणा का संदाय किया जाएगा, तथा

(ii) धारा 132 में विहित समय-सीमा के पश्चात् किए गए कार्य के अधिक घंटों के लिए, वेतन की सामान्य दर के दो गुणा के बराबर संदाय किया जाएगा।

(4) अतिकाल की प्रति घंटा दर, सुसंगत औसत अवधि पर रोस्टर घंटों के आधार पर नीचे दिए गए अनुसार निकाली जाएगी:—

(i)	वेतन की प्रति घंटा दर (औसत निकालने के सिद्धांत द्वारा शासित कर्मचारिवृन्द के लिए)	औसत की अवधि औसत की अवधि में कार्य के रोस्टर घंटों की संख्या	मासिक वेतन की सामान्य दर का 1/30
(ii)	वेतन की प्रति घंटा दर (औसत निकालने के सिद्धांत द्वारा शासित नहीं होने वालों के लिए)	1 X कार्य के प्रतिदिन के रोस्टर घंटों की संख्या	मासिक वेतन की सामान्य दर का 1/30

11. कार्य के अतिरिक्त घंटों का रजिस्टर :

रेल प्रशासन के प्रधान की ओर से प्राधिकृत अधिकारी ड्यूटी के विहित रोस्टर घंटों से ऊपर रेल सेवक द्वारा किए गए कार्य के सभी अतिरिक्त घंटों को, इन नियमों से संलग्न फार्म 'क' में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा।

12. कालिक विश्राम :

(1) जिन रेल सेवकों का नियोजन ''श्रम प्रधान'' या ''निरंतर'' है उन्हें रविवार को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक सप्ताह में तीस क्रमवर्ती घंटों से अन्यून का विश्राम दिया जाएगा तथा जिनका नियोजन आवश्यक रूप से आंतरायिक है उन्हें एक पूरी रात्रि सहित चौबीस क्रमवर्ती घंटों से अन्यून का विश्राम दिया जाएगा।

(2) किसी भी रेल सेवक को, जो ''श्रम प्रधान'' ''निरंतर'' या आवश्यक रूप में आंतरायिक वर्गीकृत है तब तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि उसने ड्यूटी के पूर्व-दौर की समाप्ति के पश्चात् क्रमशः 12, 10, 8 क्रमवर्ती घंटों से अन्यून का विश्राम नहीं ले लिया हो, ऐसा विश्राम जहां तक संभव हो, विश्राम देने वाले के नियोजन के माध्यम से दिया जाना चाहिए तथा निरंतर और आवश्यक रूप से आंतरायिक प्रवर्गों के लिए यथा उपबंधित/विश्राम देने वाला/अलग-अलग होगा।

(3) रेल इंजन या यातायात परिचालन (रनिंग) कर्मचारिवृंद को प्रत्येक मास में कम से कम पांच ऐसी कालावधियों का विश्राम दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक कालावधि कम से कम बाईस क्रमवर्ती घंटों की होगी या कम से कम चार कालावधियों का विश्राम दिया जाएगा जिसमें से प्रत्येक कालावधि एक पूरी रात्रि सहित कम से कम तीस क्रमवर्ती घंटों की होगी, इस प्रयोजनार्थ, कार्य के घंटों की गणना, ''आने पर हस्ताक्षर करने'' ''जाने पर हस्ताक्षर करने'' तक की जाएगी।

(4) रेल इंजन तथा यातायात परिचालन कर्मचारिवृंद सामान्यतः लगातार तीन या चार दिनों से अधिक मुख्यालय से दूर नहीं जाएंगे तथा ऐसे कर्मचारिवृंद को मुख्यालयों पर कालिक विश्राम दिया जाएगा, जहां तक संभव हो प्रत्येक दस दिनों में एक बार मुख्यालयों पर विश्राम में प्रायः सोने के लिए रात्रि को किया जाना चाहिए।

(5) रेल इंजन तथा यातायात परिचालन कर्मचारिवृंद से भिन्न चालित गाड़ियों में ड्यूटी पर कर्मचारिवृंद जैसे यात्रा वेतन लिपिक तथा रेस्तरां यानों से जुड़े खान-पान कर्मचारिवृंद को रेल इंजन तथा यातायात परिचालन कर्मचारिवृंद के लिए अधिकथित मापमान तथा रीति से कालिक विश्राम दिया जाएगा, कालिक विश्राम का कुछ भाग, उनके दौरों की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उनके मुख्यालयों से दूर दिया जाएगा।

(6) समुद्री कर्मचारिवृंद, कारखाना अधिनियम से शासित अन्य कर्मचारिवृंद के काम के घंटों और कालिक विश्राम को परिचालन कर्मचारिवृंद की रीति से विनियमित किया जाएगा।

(7) धारा 133 की उप धारा (2) के खंड (ii) के अनुसार, रेल प्रशासन का प्रधान, रेल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से उन रेल सेवकों के प्रवर्गों को, जिन्हें उक्त धारा की उप धारा (i) में अधिकथित मापमान से कम मापमान पर विश्राम की कालावधियां दी जा सकेंगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

13. विश्राम की प्रतिकरात्मक अवधियां

किसी रेल सेवक से, जिसे नियम (९) के अधीन छूट दी गई है, विश्राम की अवधि के बिना चौदह दिनों से अधिक कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा और उसे इस अवधि में प्रतिकरात्मक विश्राम दिया जाएगा।

भाग-III

अधिनियम के अध्याय XIV तथा इन नियमों के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारी

14. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

रेल श्रम पर्यवेक्षकों की नियुक्ति श्रम मंत्रालय द्वारा की जाएगी उनकी नियुक्ति की रीति तथा इस प्रयोजन विहित शैक्षिक अर्हताएं आदि, श्रम मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित की जाएंगी।

15. नियमों और सूचनाओं का प्रदर्शन

— प्रत्येक रेल प्रशासन :—

(क) जहां रेल सेवक कार्य करते हैं, रेल सेवकों के नियोजन के वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करने वाली सूचनाओं, उनके नियोजन के घंटों की कालावधि, उनके विश्राम तथा रोस्टर की अवधि को, और

(ख) प्रत्येक स्टेशन या किसी प्रतिष्ठान में, अधिनियम के अध्याय XIV तथा इन विनियमों की प्रतिलिपि अंग्रेजी, हिंदी तथा स्थानीय भाषा में, किसी सहज सदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

16. वार्षिक विवरणी

प्रत्येक रेल प्रशासन, इन नियमों से संलग्न के अनुसार प्ररूप (ख) में प्रत्येक वर्ष जिससे यह संबंधित है, के अंत में एक विवरणी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को आगामी वित्तीय वर्ष, 15 मई से पूर्व भेजेगी।

भाग-IV

अवशिष्ट शक्तियां

17. विशेष मामलों में उपांतरण करने की शक्तियां

(1) इन नियमों में उपबंधित किसी अन्य बात के होते हुए भी, जहां रेल की कार्य प्रणाली को दक्ष बनाने के लिए, इन नियमों में अधिकथित विशेष प्रकृति की किन्हीं शर्तों में, जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें तत्काल उपांतरण करना आवश्यक है वहां ऐसे उपांतरण, जो इस अधिनियम के अध्याय-14 के किसी उपबन्ध से असंगत नहीं हैं, रेल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी होंगे।

(2) ऐसे उपांतरणों की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

(3) यदि किसी रेल सेवक पर उपनियम (1) के अधीन किए गए ऐसे किसी उपांतरण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वह ऐसे उपांतरण के प्रभावी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर, रेल मंत्रालय के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका निर्णय, इस संबंध में, अंतिम होगा।

भाग-V

निरसन तथा व्यावृत्ति

18. रेल सेवक (नियोजन-घंटे) नियम, 1961 तथा इसके अंतर्गत जारी सभी आदेश, जहां तक वे इन नियमों से असंगत हैं, निरसित किए जाते हैं, परन्तु,

(1) ऐसा निरसन, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तनों या इनके अंतर्गत किए गए किन्हीं आदेशों या किए गए किसी कृत्य या किसी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा;

(2) इन नियमों में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी भी उस व्यक्ति को जिसे ये नियम लागू होते हैं, अपील करने के उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जो उसे इन नियमों के लागू होने से पहले, पूर्वोक्त् नियमों या आदेशों के अधीन प्राप्त था।

(3) ऐसे नियमों के लागू होने से पूर्व किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध,

इन नियमों के प्रारंभ होने तक लंबित अपील पर विचार किया जाएगा तथा उस पर इन नियमों के अनुसार इस प्रकार के आदेश किए जाएंगे मानो कि वे आदेश और अपीलें इन नियमों के अधीन किए गए थे/की गई थीं।

(4) इन नियमों के लागू होने से पूर्व किए गए किन्हीं आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए की गई अपील या आवेदन इन नियमों के अधीन किया जाएगा, माना कि ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन किए गए थे।

[सं. ई (एल एल) 2001/एच ई आर/9]

वी. एन. माथुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी :—रेल सेवक (नियोजन-घंटे) नियम, 1961 तारीख 6-1-1962 के सा.का.नि. 40 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उनमें तारीख 26-3-77 के सा.का.नि. 430 से संशोधित किया गया था।

526-2/05

प्ररूप ''क'' (नियम 11 देखिए)

कार्य के अतिरिक्त घंटों का रजिस्टर-रेल सेवक (काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि) नियम, 2004 के नियम 11 के अधीन विहित रजिस्टर

स्टेशन : मंडल :

क्र. सं.	किए गए अतिकाल का माह और तारीख	नाम तथा पिता का नाम	पदनाम	वर्गीकरण : श्रम प्रधान निरंतर/आवश्यक रूप से आंतरायिक	वेतन की दर	रोस्टर के घंटे———से ———तक	वास्तविक घंटे ———से ———तक	कार्य के किए गए अतिरिक्त घंटे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कार्य के अतिरिक्त घंटे करने का कारण	मंजूर किया गया अनिवार्य प्रतिपूरक विश्राम तारीख——— से——— ———तक	कुल घंटे जिनके लिए अतिकाल का संदाय किया जाना है	धारा 132 (4) और 133 के अधीन दी गई अस्थायी छूट के कारण	नियमों के अधीन अस्थायी छूट की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधीनस्थ भारसाधक के हस्ताक्षर	संदत्त अतिकाल भत्ते की राशि और संदाय की तारीख	टिप्पणी
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप ''ख''

(नियम 16 देखिए)

31 मार्च, ——————————————— को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	रेल का नाम	नियोजित रेल सेवकों की कुल संख्या	श्रम प्रधान		निरंतर			
					परिचालन कर्मचारीवृंद		परिचालन कर्मचारीवृंद से भिन्न कर्मचारीवृंद	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अपवर्जित

आवश्यक रूप से आंतरायिक		पर्यवेक्षी कर्मचारीवृंद		गोपनीय हैसियत में नियोजित		अन्य		टिप्पणी
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

रेल प्रशासन के प्रधान/भारसाधक के हस्ताक्षर

(मुहर)

स्थान :

तारीख :

सेवा में —

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 28th February, 2005

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by section 136 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

PART-I

1. Short title, commencement and application—

(1) These rules may be called the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply only to those railway servants to whom Chapter XIV of the Act applies.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(b) 'full-night' means the period between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.

(c) 'long-on' means a period of duty over eight hours in the case of 'intensive' workers, over ten hours in the case of 'continuous' workers and over twelve hours in the case of 'essentially intermittent' workers;

(d) 'ordinary rate of pay' includes—

(i) pay as defined in rule 1303(F.R.9) of the Indian Railway Establishment Code volume-II (1990 Edition) and includes element of running allowance to the extent of 30 per cent of basic pay in the case of running staff as defined in Rule 1507 of the aforesaid Code;

(ii) Dearness Allowance, Additional Dearness Allowance and Dearness Pay, if any; and

(iii) Compensatory (City) Allowance;

(e) "Railway servants employed in confidential capacity" includes—

(i) Stenographers working either in a separate confidential cell or attached to the officers in Administrative offices;

(ii) Cypher operators;

(iii) Confidential Assistants and Personal Assistants; and

(iv) Any other railway servant who may be so specified by the Head of the Railway Administration to have been employed in confidential capacity;

(f) 'Regional Labour Commissioner' means an officer appointed as such by the Government of India in the Ministry of labour by notification in the official gazette;

(g) 'Roadside station' means a station other than—

(i) an important junction station;

(ii) a station with marshalling yard;

(iii) an important terminal station;

(iv) a station from which trains are ordered as a regular measure; and

(v) a station where a separate goods office under a supervisory Goods Clerk, in the grade of Chief Goods Clerk or of higher rank sanctioned on the basis of workload in that Goods Office has been provided :

Provided that the Head of the Railway Administration or the authority to whom he may delegate this power, may draw up a list of road-side stations keeping in view the above definition.

(h) 'roster' means a document which shows the hours that a railway servant is expected to be on duty every day, the daily as well as weekly rest and break between spells of duty in a day besides other necessary particulars;

(i) 'running staff' means the staff who are defined to be so in Rule 1507 of Indian Railway Establishment Code Volume. II (1990 Edition);

(j) "Section" means a section of the Act;

(k) 'short off' means a period of rest which is—

(i) in the case of intensive workers :—

(A) less than 12 hours in a roster of six hours duty; and

प्ररूप ''क'' (नियम 11 देखिए)

कार्य के अतिरिक्त घंटों का रजिस्टर-रेल सेवक (काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि) नियम, 2004 के नियम 11 के अधीन विहित रजिस्टर

स्टेशन : मंडल :

क्र. सं.	किए गए अतिकाल का माह और तारीख	नाम तथा पिता का नाम	पदनाम	वर्गीकरण : श्रम प्रधान निरंतर/आवश्यक रूप से आंतरायिक	वेतन की दर	रोस्टर के घंटे———से ———तक	वास्तविक घंटे ———से ———तक	कार्य के किए गए अतिरिक्त घंटे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कार्य के अतिरिक्त घंटे करने का कारण	मंजूर किया गया अनिवार्य प्रतिपूरक विश्राम तारीख——— से——— ———तक	कुल घंटे जिनके लिए अतिकाल का संदाय किया जाना है	धारा 132 (4) और 133 के अधीन दी गई अस्थायी छूट के कारण	नियमों के अधीन अस्थायी छूट की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधीनस्थ भारसाधक के हस्ताक्षर	संदत्त अतिकाल भत्ते की राशि और संदाय की तारीख	टिप्पणी
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप ''ख''

(नियम 16 देखिए)

31 मार्च, ——————————— को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	रेल का नाम	नियोजित रेल सेवकों की कुल संख्या	श्रम प्रधान		निरंतर			
					परिचालन कर्मचारीवृंद		परिचालन कर्मचारीवृंद से भिन्न कर्मचारीवृंद	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अपवर्जित

आवश्यक रूप से आंतरायिक		पर्यवेक्षी कर्मचारीवृंद		गोपनीय हैसियत में नियोजित		अन्य		टिप्पणी
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

रेल प्रशासन के प्रधान/भारसाधक के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

स्थान :

तारीख :

सेवा में —

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 28th February, 2005

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by section 136 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

PART-I

1. Short title, commencement and application—

(1) These rules may be called the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply only to those railway servants to whom Chapter XIV of the Act applies.

2. Definitions :—

In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

(b) 'full-night' means the period between 10.00 p.m. and 6.00 a.m.

(c) 'long-on' means a period of duty over eight hours in the case of 'intensive' workers, over ten hours in the case of 'continuous' workers and over twelve hours in the case of 'essentially intermittent' workers;

(d) 'ordinary rate of pay' includes—

(i) pay as defined in rule 1303(F.R.9) of the Indian Railway Establishment Code volume-II (1990 Edition) and includes element of running allowance to the extent of 30 per cent of basic pay in the case of running staff as defined in Rule 1507 of the aforesaid Code;

(ii) Dearness Allowance, Additional Dearness Allowance and Dearness Pay, if any; and

(iii) Compensatory (City) Allowance;

(e) "Railway servants employed in confidential capacity" includes—

(i) Stenographers working either in a separate confidential cell or attached to the officers in Administrative offices;

(ii) Cypher operators;

(iii) Confidential Assistants and Personal Assistants; and

(iv) Any other railway servant who may be so specified by the Head of the Railway Administration to have been employed in confidential capacity;

(f) 'Regional Labour Commissioner' means an officer appointed as such by the Government of India in the Ministry of labour by notification in the official gazette;

(g) 'Roadside station' means a station other than—

(i) an important junction station;

(ii) a station with marshalling yard;

(iii) an important terminal station;

(iv) a station from which trains are ordered as a regular measure; and

(v) a station where a separate goods office under a supervisory Goods Clerk, in the grade of Chief Goods Clerk or of higher rank sanctioned on the basis of workload in that Goods Office has been provided :

Provided that the Head of the Railway Administration or the authority to whom he may delegate this power, may draw up a list of road-side stations keeping in view the above definition.

(h) 'roster' means a document which shows the hours that a railway servant is expected to be on duty every day, the daily as well as weekly rest and break between spells of duty in a day besides other necessary particulars;

(i) 'running staff' means the staff who are defined to be so in Rule 1507 of Indian Railway Establishment Code Volume. II (1990 Edition);

(j) "Section" means a section of the Act;

(k) 'short off' means a period of rest which is—

(i) in the case of intensive workers :—

(A) less than 12 hours in a roster of six hours duty, and

प्ररूप "क" (नियम 11 देखिए)

कार्य के अतिरिक्त घंटों का रजिस्टर-रेल सेवक (काम के घंटे तथा विश्राम की अवधि) नियम, 2004 के नियम 11 के अधीन विहित रजिस्टर

स्टेशन : मंडल :

क्र. सं.	किए गए अतिकाल का मास और तारीख	नाम तथा पिता का नाम	पदनाम	वर्गीकरण : श्रम प्रधान निरंतर/आवश्यक रूप से आंतरायिक	वेतन की दर	रोस्टर के घंटे———से ——— तक	वास्तविक घंटे ———से ——— तक	कार्य के किए गए अतिरिक्त घंटे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कार्य के अतिरिक्त घंटे करने का कारण	मंजूर किया गया अनिवार्य प्रतिपूरक विश्राम तारीख——— से——— ———तक	कुल घंटे जिनके लिए अतिकाल का संदाय किया जाना है	धारा 132 (4) और 133 के अधीन दी गई अस्थायी छूट के कारण	नियमों के अधीन अस्थायी छूट की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधीनस्थ भारसाधक के हस्ताक्षर	संदत्त अतिकाल भत्ते की राशि और संदाय की तारीख	टिप्पणी
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप "ख"

(नियम 16 देखिए)

31 मार्च, ——————————————— को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	रेल का नाम	नियोजित रेल सेवकों की कुल संख्या	श्रम प्रधान		निरंतर			
					परिचालन कर्मचारीवृंद		परिचालन कर्मचारीवृंद से भिन्न कर्मचारीवृंद	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अपवर्जित

आवश्यक रूप से आंतरायिक		पर्यवेक्षी कर्मचारीवृंद		गोपनीय हैसियत में नियोजित		अन्य		टिप्पणी
संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

रेल प्रशासन के प्रधान/भारसाधक के हस्ताक्षर

(मुहर)

स्थान :

तारीख :

सेवा में —

(B) less than 14 hours in a mixed roster of 6 and 8 hours duty.

(ii) in the case of continuous worker-less than 10 hours.

(iii) in the case of essentially intermittent workers—less than 8 hours.

(l) 'split duty' means duty in two or more spells with intervening breaks each of half or more hour necessitated by exigencies of work and when the employee is free to leave his place of duty. Intervals for rest and meals shall not be breaks for the purpose of split-duty;

(m) 'sustained attention' as used in sub-section(b), section 130 implies mental effort.

Explanation : A Pointsman waiting for the arrival of a train after setting points is required to give sustained attention. Similarly a Station Master or an Assistant Station Master is generally required to pay sustained attention from the time he gives line clear to the Station in rear till the time the train arrives and again from the time the line clear is asked for to the time the Block Section ahead is cleared. Wherever circumstances justify a different treatment, the period involving sustained attention may be decided by the Controlling Authority. In case of any doubt, the decision of the Head of the Department shall be final.

(n) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Indian Railway Establishment Code or the Act.

PART—II

CLASSIFICATION OF EMPLOYMENT AND HOURS OF WORK

3. Prescribed authority to classify the employment of railway servant—

(1) The power to declare the employment of railway servants as 'intensive' or 'essentially intermittent' within the meaning of section 130 shall vest in the Head of the Railway Administration :

Provided that the Head of the Railway Administration may, in his discretion, delegate the power vested in him under this sub-rule to the Chief Personnel Officer :

Provided further that during the period of emergency such as flood, accident, the power vested in the competent authority can be exercised by an officer not below the rank of senior scale.

(2) A copy of every declaration made by the prescribed authority under sub-rule (1) shall, as soon as may be, sent to the Regional Labour Commissioner concerned and, in case the declaration is made by an officer other than the Head of the Railway Administration, to the head of the Railway Administration or the Chief Personnel Officer, as the case may be.

4. Appeals against classification—

(1) Any railway servant aggrieved by the declaration of classification made under rule 3 may, within ninety days from the date of such declaration, prefer an appeal to the Regional Labour Commissioner, who after scrutiny of relevant documents or if considered necessary, after a fresh job analysis, may order for a change in the classification.

(2) Any railway servant or Railway Administration aggrieved by a decision of the Regional Labour Commissioner may, before the expiry of ninety days from the date on which the decision of the Regional Labour Commissioner is communicated to him, prefer an appeal to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour who will dispose it of after hearing the parties concerned.

5. Supervisory staff—

(1) The Ministry of Labour shall, by order in writing, specify the railway servants or classes of Railway servants who shall be treated as supervisory staff under sub-clause (iv) of clause (c) of Section 130 on the ground that the Railway servant holds a position of responsibility, is employed on duties mainly of a supervisory character and is, from the nature of his work and position, comparatively free to adjust his hours of duty or work during such hours :

Provided that the railway servants who on the date of publication of these rules are treated as supervisory staff under the rules shall continue to be treated as such until the orders specifying the railway servants or classes of railway servants as supervisory staff is issued under this sub-rule.

(2) A copy of every such order issued under sub-rule (1) shall be furnished to the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

6. Excluded staff

The following categories of staff of the Health and Medical Department shall be treated as 'excluded' under sub-clause(v) of Clause(c) of Section 130, namely :—

(a) Matrons;

(b) Sisters-in-charge;

(c) Midwives who are not posted on regular shift duty in Railway Hospitals;

(d) Health Educators and District Extension Educators (Male and Female);

(e) Family Planning Field Workers (Male and Female);

(f) Lady Health Visitors;

(g) Auxiliary Nurses-cum-Midwives;

(h) Projectionists;

In addition to the above, the Ministry of Railways may by order in writing specify any other category of railway staff in any of the Departments of the Indian Railways who shall be treated as 'Excluded' on the consideration that such staff are available on call.

7. Criteria for determining classification of railway servants—

(1) Continuous : All employments of Railway servants except those excluded from the purview of the Hours of Employment Regulations are assumed to be 'Continuous'. Thereafter, on the basis of factual job analysis the employment may be classified either as 'intensive' or 'essentially intermittent', as the case may be.

(2) Intensive : The two important factors in declaring an employment as 'Intensive' under Clause (d) of Section 130 of the Act are :—

(i) strenuous nature of the work tending to cause mental or physical strain; and

(ii) Continuous application to such work with little or no periods of relaxation.

Explanation I : The term 'continued concentration' in clause (d) of the Section 130 is intended to convey that the attention demanded of the Railway servant concerned for a particular nature of job should be exclusive not to allow any other thought or idea to enter the mind and must be of such nature as to cause strain (physical or mental or both) upon the Railway servant concerned as a result of continuous application to such work over certain period without reasonable periods of respite. Thus, having regard to the entire period of duty and nature of work, the prescribed authority shall, before declaring any employment as 'Intensive', satisfy itself that the above factors are present in the job concerned. In other words, the prescribed authority shall consider whether the job is of such a character that it demands continued concentration without any reasonable periods of relaxation.

Explanation II : Factor (ii) should be considered to have been satisfied where the periods of rest, inaction or relaxation do not aggregate 6 hours or more in a cycle of 24 hours or one hour or more in a shift of 8 hours.

(3) Essentially Intermittent :

The work of an employee is to be regarded as 'essentially intermittent' if his daily duty hours which should be assumed to be twelve hours per day include—

(a) one period of inaction of not less than one hour, or two such periods of not less than half an hour each, and

(b) various periods of inaction including the period of inaction specified in Clause (a) aggregating 50 per cent or more, during which he is not generally called upon to display either physical activities or sustained attention.

NOTE : In assessing the work-load of the 'essentially intermittent' classification in accordance with sub-section (b) of Section 130, periods of inaction of less than 5 minutes shall be ignored.

8. Fixation of hours of work —

The hours of work of a Railway servant as per roster (hereinafter referred to as the rostered hours of work) may be continuous or may have short interval for rest, or breaks due to exigencies of service or deployment.

(1) Subject to the limit specified in section 132 and having regard to the requirements of the service and the nature of work, the Railway Administration shall fix the normal rostered hours of work for the various categories of railway servants in the manner indicated in these rules.

(2) The rostered hours of work of Railway servants shall consist of—

(i) standard hours of duty,

(ii) additional hours as may be prescribed in the case of certain categories classified as essentially intermittent; and

(iii) time required to do preparatory or complementary work or both for those who are required to do such work.

(3) The standard hours of duty for different classes of employment of Railway servants shall be as under :—

(a) Intensive	......	42 hours a week;
(b) Continuous	......	48 hours a week; and
(c) Essentially Intermittent	......	48 hours a week;

564 GI/05-5

(4)(a) Railway servants having essentially intermittent class of employment shall be called upon to work as per rule 8(2)(ii) additional hours as indicated below :—

(i) Gatemen 'C', Caretakers of Rest Houses and Reservoirs etc., Chowkidars and Saloon Attendants (ii) Railway servants posted to work in Essentially Intermittent employment at road-side stations and provided with residential quarters within 0.5 Kms. from their place of duty	24 additional hours per week
(iii) Rest of the employees posted to work in Essentially Intermittent class of employment	—12 additional hours per week.

(b) Such additional hours of work shall be reflected in the duty rosters of the Railway servants concerned.

(5) The time required by various categories of staff to do preparatory or complementary work or both, which includes the work of handing over and taking over charge, must necessarily be carried out outside the limits laid down for general working of an establishment, branch or shift and shall be determined by means of job analysis of such work in respect of representative posts in respective categories.

(6) The time determined under sub-rule(5) shall be added to the standard hours of duty of the staff in all the various classifications subject to maximum limit prescribed below :—

(a) when employment is intensive ..... 3 hours a week;

(b) when employment is continuous ..... 6 hours a week;

(c) when employment is essentially intermittent :—

(i) Gatemen 'C', Caretakers of Rest Houses and Reservoirs, Chowkidars, Saloon Attendants and those posted at road-side stations and provided with residential quarters within 500 metres from their place of duty .... 3 hours a week;

(ii) Railway servants other than those mentioned in sub-caluse (i) .... 4 ½ hours a week;

(7) The time required for preparatory or complementary work by the running staff shall be deemed to be 4 hours a week.

NOTES : (i) Where the time assessed for doing preparatory or complementary work is under 15 minutes per day, the same shall not be treated as duty and shall not be exhibited in the roster.

(ii) In the case of employment of a 'continuous' nature, the time assessed for doing 'preparatory or complementary work between 15 minutes and less than 45 minutes per day should be treated as half an hour's work and such time between 45 minutes and one hour per day should be treated as one hour's work.

(iii) In the case of intensive and essentially intermittent categories of employment, such time assessed between 15 minutes and 30 minutes per day shall be treated as half an hour's work.

(iv) The time assessed for the work mentioned in Note (iii) shall be reflected in the duty rosters of the concerned railway servants;

(v) Total hours for preparatory or complementary work or both shall be so fixed to ensure that the overall duty hours do not exceed the limits prescribed for respective classification in Section 132.

(8) Where Railway servants are required to perform split-duty, such duty shall be subject to the following conditions, namely :—

(a) The spells of duty shall not exceed three and the number of breaks shall be limited to two;

(b) In the case of an employment of 'continuous' nature, the railway servant whose place of residence is beyond 1.6 kilometers from the place of duty, seven hours of split-duty shall be treated as equivalent to eight hours of normal duty.

(9) While preparing rosters, 'long on' or 'short off' shall, accordingly, be avoided.

(10) Where, in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 132 or sub-section (3) of Section 133 and in the circumstances mentioned therein, a Railway servant is called upon by an order of temporary exemption made under Rule 9 below by the competent authority to render duty beyond the hours of work fixed in accordance with the foregoing sub-rules or beyond the hours prescribed in Sub-section (1), (2) and (3) of the Section 132, it shall be the duty of the Railway servant concerned to render such extra hours of duty.

9. Power to make temporary exemption —

(1) Subject to the provisions of sub-section (4) of Section 132 and of sub-section (3) of Section 133, Head of a Railway Administration may by order in writing make temporary exemption of any Railway servant or class or Railway servants from the provisions of sub-section (1), (2) and (3) of Section 132 and sub-section (1) and (2) of Section 133.

(2) The Head of Railway Administration may by order in writing delegate his powers under sub-rule (1) to any officer subordinate to him and whom he may deem fit to exercise the powers.

(3) A copy of every order of delegation made under sub-rule (2) shall be sent to the Regional Labour Commissioner concerned.

10. Principle of averaging and payment of overtime allowance—

(1) Where a Railway servant is required to render extra hours of duty beyond the rostered hours fixed in accordance with rule 8 or beyond the limits specified for different classes of Railway servant under section 132, he shall be paid overtime for such extra hours of work, subject to the principle of averaging as specified in sub-rule (2).

(2) Averging shall be done by averaging of the hours of work over the averging periods as specified in Section 132 which has been adopted to provide a reasonable measure of elasticity as essential in railway working for certain classes of Railway servants and it shall apply to—

(i) running staff;
(ii) operating staff;
(iii) shift workers; and
(iv) those other Railway servants whose work is connected with the work of any of the categories of Railway servants mentioned in clause (i), (ii) and (iii).

Subject to the provisions contained in sub-section (4) of Section 132, payment of overtime for excess hours of work shall be made as under :—

(i) For the excess hours of work rendered by a Railway servant between the limits of prescribed rostered hours of work and the hours prescribed in Section 132, during the relevant averaging period, payment shall be made at 1 ½ times the ordinary rate of pay; and
(ii) For the excess hours of work rendered beyond the limits prescribed in Section 132, payment shall be made at two times the ordinary rate of pay.

(4) The hourly rate of overtime shall be worked out on the basis of rostered hours over the relevant averaging period as under :—

(i) Hourly rate of Pay (for staff governed by Averaging Principle)	Period of averaging / No. of rostered hours of work in the averaging period	×	1/30 of monthly ordinary rate of pay
(ii) Hourly rate of pay (for those not governed by Averaging Principle)	1 / No. of daily rostered hours of work	×	1/30 of monthly ordinary rate of pay.

11. Register of extra hours of work —

The particulars of all extra hours of work done by a Railway servant beyond the prescribed rostered hours of duty shall be recorded in a register to be maintained in Form 'A' appended to these rules by the officer authorised in this behalf by the Head of the Railway Administration.

12. Periodical Rest —

(1) Railway servant whose employment is Intensive or Continuous shall be granted, every week commencing on a Sunday, rest of not less than thirty consecutive hours and those whose employment is Essentially Intermittent, shall be granted rest of not less than twenty four consecutive hours including a full night.

(2) No Railway Servant classified as Intensive, Continuous or Essentially Intermittent shall be called on duty unless one has had a rest of not less than 12,10,8 consecutive hours respectively after completion of the previous tour of duty. Such rest shall be given as far as possible through the employment of rest givers and the rest givers so provided shall be separate for Continuous and Essentially Intermittent categories.

(3) Locomotive or traffic running staff shall be granted, each month, a rest of atleast five periods of not less than twenty-two consecutive hours each, or a rest of atleast four periods of not less than thirty consecutive hours each including a full night. The hours of work for this purpose shall be calculated from "signing on" to "signing off".

564-E/11/05

(4) The locomotive and traffic running staff shall not normally be away from headquarters for more than three or four days at a stretch and the periodic rest for such staff shall be given at headquarters. Rest at headquarters shall always include a night in bed, and as far as possible be once in every ten days.

(5) Staff on duty in running trains, other than locomotive and traffic running staff such as Travelling Pay Clerks and Catering Staff attached to Restaurant Cars shall be given periodic rest on the scale and in the manner laid down for the locomotive and traffic running staff. Some portion of the periodic rest may, however, be given away from their headquarters having regard to their length of trips.

(6) The working hours and periodic rest of marine staff, other than those who are governed by the Factories Act shall be regulated in the same manner as those of running staff.

(7) In accordance with clause (ii) of sub-section (2) of Section 133 of the Act, the Head of the Railway Administration may, with the prior approval of the Ministry of Railways, specify the categories of railway servants to whom the periods of rest on scales less than those laid down under sub-section (1) of the said section can be prescribed.

13. Compensatory periods of rest—

No railway servant in respect of whom an exemption has been made under rule 9 shall be required to work for more than fourteen days without a period of rest and shall be provided with compensatory rest within this period.

PART-III

AUTHORITIES TO ENSURE PROPER IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF CHAPTER XIV OF THE ACT AND THESE RULES

14. Appointment of Supervisors—

The supervisors of Railway labour shall be appointed by the Ministry of Labour. The manner of their appointment and the educational qualifications etc., prescribed for the purpose will be as laid down by the Ministry of Labour from time to time.

15. Display of rules and notices—

Every Railway Administration shall display in a conspicuous place—

(a) where the railway servants work, notices specifying the classification of employment of railway servants; the duration of their hours of employment, their period of rest and rosters; and

(b) in each station or other establishment, a copy of Chapter XIV of the Act and these rules in English, Hindi and in local language.

16. Annual Return—

Every Railway Administration shall send each financial year a return in Form 'B' appended to these rules, so as to reach the Regional Labour Commissioner not later than the 15th day of May following the end of the financial year to which it relates.

PART-IV

RESIDUARY POWERS

17. Power to make modification in special cases —

(1) Notwithstanding anything provided in these Rules, where, in the interest of efficient working of the Railways, there are certain conditions of special nature necessitating an immediate modification of any conditions laid down under these rules to suit local conditions, such modifications which are not inconsistent with any provisions of Chapter XIV of the Act, may be effected with prior approval of the Ministry of Railways.

(2) A copy of each such modification shall be sent to the Regional Labour Commissioner concerned.

(3) If any Railway servant is adversely affected by any such modification made under sub-rule (1), he may prefer an appeal before the expiry of 90 days from the date of effecting such modification to the Ministry of Railways whose decision thereon shall be final.

PART-V

REPEAL AND SAVING

18. The Railway servants (Hours of Employment) Rules, 1961 and any orders issued thereunder in so far as they are inconsistent with these rules, are hereby repealed; provided that

(1) such repeal shall not affect the previous operation of the said rules or any orders made or anything done or any action taken thereunder;

(2) nothing in these rules shall be construed as depriving any person to whom these rules apply, of any right of appeal which had accrued to him under the rules or orders in force before the commencement of these rules.

(3) an appeal pending at the commencement of these rules against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be made in accordance with these rules as if such orders were made and the appeals were preferred under these rules.

(4) as from the commencement of these rules any appeal or application for review against any orders made before such commencement, shall be preferred or made under these rules as if such orders were made under these rules.

[File No. E(LL)2001/HER/9]

V.N. MATHUR, Secy. Railway Board

Footnote :— The Railway Servants (Hours of Employment) Rules, 1961 were published vide G.S.R. 40 dated 6-1-1962 and amended vide G.S.R. 430 dated 26-3-77.

FORM 'A'

(See Rule 11)

REGISTER OF EXTRA HOURS OF WORK—REGISTER PRESCRIBED UNDER RULE 11 OF RAILWAY SERVANTS (HOURS OF WORK AND PERIOD OF REST) RULES, 2004

Station :

Division :

S.No.	Month And date overtime worked	Name and Father's name	Designation	Classification Intensive Continuous Essentially Intermittent	Rate of Pay	Rostered hours		Actual hours		Extra Hours Worked
						From	To	From	To	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)

Reason for working extra hours	Compulsory rest granted			Number of hours for which over-time payable	Reasons for granting temporary exemption under section 132(4) and 133	Signature of subordinate incharge granting exemption under rules	Amount of overtime paid and date of payment	Remarks
	Date	From	To					
(10)	(11)			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM 'B'

(See Rule 16)

ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH ....

S.No.	Name of Railway	Total No. of Railway servants employed	Intensive		Continuous			
					Running staff		Other than Running staff	
			No.	Percent	No.	Percent	No.	Percent
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

010-22084
26706553

Essentially Intermittent		Supervisory		**Excluded** Employed in confidential capacity		Others		
No.	Percent	No.	Percent	No.	Percent	No.	Percent	Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Place :
Date :
To

The Regional Labour Commissioner (Central)

Signature of Head/Incharge
Railway Administration
(SEAL)